FORM -I

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

R. No-83
Dated: 27/08/2021

Office of the District Collector Rudraprayag

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

30/6/22
DM

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA',for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **1.455** hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of **Indian Railways** for **"Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand"** which falls within jurisdiction of **Rutura** Village in Rudraprayag Teshil.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.455** Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure

b. The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed.

c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

District Collector
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

Office of the District Collector Rudraprayag

District-Rudraprayag (Uttarakhand)

Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the District level Committee of District Rudrapryag (Uttarakhand) District Magistrate, Rudraprayag on date ..27/8/21.... at Rudraprayag in which the application claiming rights in villages **Rutura** in Rudraprayag teshil area measuring **1.455** hectares for **"Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand"** of forest land under FRA ,2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divisional level committee of Rudraprayag teshil were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate,Rudrapryag,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

Chairman District Level Committee

Its is further certified that – Minutes of meetings of "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for **1.455** Hectares of Forest area proposed for diversion .A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed .	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communties.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers

District Social Welfare Officer
Rudraprayag

शीला रावत
सदस्य जिला पंचायत
वार्ड नं० 17
जनपद- रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

Divisional Forest Officer
Rudraprayag Forest Division

(Manuj Goyal)
District Collector (Rudraprayag)

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.455 हे0 सिविल वन भूमि जो कि रतोड़ा ग्राम मे स्थित हैं। भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन सिविल वन भूमि के सम्बन्ध में आनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषिं कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड रूद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ने ब्रॉड गेज रेल परियोजना निर्माण हेतु 1.455 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम रतोड़ा मैं भारतीय रेल (परियोजना एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

Dated - 26/08/2021

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील – रूदप्रयाग
जनपद – रूद्रप्रयाग

2/8/22
SDM
उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील – रूदप्रयाग
जनपद – रूद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग
उपखण्ड सतरीय समिति रूदप्रयाग

आज दिनांक 26/8/21......का उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश –कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जय किशन (IAS)	उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष रूद्रप्रयाग	[signature] उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग
2		उप प्रभागीय वनाधिकारी रूदप्रयाग	
3	संजीव पंत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	[signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4	ईश्वर सिंह राणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र स्तूड़ा	[signature]

[signature]
(ज्वाला प्रसाद)
वन क्षेत्राधिकारी
जखोली रेंज

ईश्वर सिंह राणा
क्षेत्र पंचायत सदस्य ...
...

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– 126 Km Long Broad Gauge Rail Link Connectivity between Rishikesh-Karnprayag in the state of Uttarakhand

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – रतूडा (RATURA)
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला– रुद्रप्रयाग

रुद्रप्रयाग अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ______ के अन्तर्गत 125 km ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.455 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.455 हे0 वन भूमि का भारतीय रेल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ______ द्वारा दिनांक 27/07/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विचार विमर्श की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। के सम्बन्ध में सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रतूडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि भारतीय रेल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड-
रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत रतूडा
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

12

<u>प्रपत्र–23.1</u>

दिनांक 27/07/2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रतूड़ा तह० एवं जिला रुद्रप्रयाग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र लाल उपप्रधान	[illegible]
2	कृष्णा नन्द	कृष्णा नन्द
3-	अनिता भारती	[illegible]
4	विनोद [illegible]	[illegible]
5	दीपा देवी वार्ड सदस्य - 2	दीपा
6-	बीना देवी वार्ड सदस्य - 6	बीना देवी
7-	विनोद कुमार	[illegible]
8-	[illegible] (दुर्गा प्रसाद)	[illegible]
9-	कुशलाललाल	कुशलाललाल
10	[illegible] (सुरेन्द्र खत्री)	[illegible]
11	[illegible] वार्ड सदस्य - 1	[illegible]
12-	सरोजनी देवी वार्ड सदस्य - 4	सरोजनी देवी
13-	ज्योति देवी वार्ड सदस्य - 3	ज्योति [illegible]
14	[illegible] सिंह ([illegible])	
15	सुनिता देवी (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री)	
16	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
17	जगदीश प्रसाद	
18	कुलदीप (ग्राम विकास अधिकारी)	
19	आनन्द सिंह ([illegible])	
20	भुवनेश्वरी देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

[illegible]

ह० / [illegible]
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रतूड़ा अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)
ह० [illegible]
दि० 27.07.2024

63